OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF POLICE, RAJASTHAN,
JAIPUR.

NO. CID/CB/PRC( )88/876-1672 Dated June 20th, 1988

STANDING ORDER NO. 6 /88.

SUB :- VCNBs. AND INDEX REGISTER FOR CONVICTS & SUSPECTS.

Village Crime Note Books in the Police Stations are being maintained in three parts :-

(i) PART. I. This contains the History, population and other general information regarding the village.

(ii) PART II. This is a crime register of the village. On registration of a case, an entry is made in this x part of VCNB. Simultaneously an entry is also made in the Police station Crime Register.

(iii) PART III. This is an index of names of convicts and suspects living in the village.

2. Entries in Part III of VCNB should be made in a continuous serial order and fresh numbering should not be started-year wise. Page numbering of VCNB should be made seperately for each part and not for the entire VCNB..

3. Entries in Part III of VCNB and in Index Register for convicts and suspects are not being properly made at Police Stations because of mis-interpretation of instructions and inertia at the level of S.H.Os. and Head Mohirirs. This needs immediately rectification.

4. As soon as an accused is challaned in any cognizable offence, an entry should be made in Part III of VCNB and also in Index to convicts and suspects Register of the place of his residence.

For example, if any offence is committed in Police Station Manak Chowk (Jaipur) an entry regarding F.I.R. is to be made in Part II of VCNB of P.S. Manak Chowk. Now, if the accused belongs to P.S. Neem-Ka-Thana (Sikar) at the time of challaning the accused, S.H.O. Manak Chowk (where the case was registered) should send an 'Information Roll' to the Police station of the accused's residence (P.S. Neem-ka-Thana). S.H.O. Neem-ka-Thana will then make an entry in Part III of the VCNB of the village where the accused belongs and also in Index to convicts and suspects Register.

5. While putting up challan, 'Information Roll' shouldd be immediately sent to the S.H.O. of the P.S. of residence of accused. The S.H.O. on receiving this information, has to ensure that entry in Pt.III of VCNB and also in the Index to convicts and suspects Register is made within 48 hours (in case of the same district of city) and within 7 days (in inter-district cases). If confirmation is not

P.T.O.

received back regarding entries having been made within the stipulated time, the S.H.O. Of the Police Station wherein the accused has been challaned, shall report to C.O. and S.P., who shall then ensure compliance.

6. The Index to Convicts and Suspects Register shall be maintained in an alphabetical order with not more than 3 names on one page. These registers should be prepared afresh at all Police Stations and all entries should be made starting from 1-1-1975. This should be a time bound programme and compliance reports should be sent to the Distt. Supdts. of Police from all Police Stations by 31-8-1988.

7. Names of all persons residing in the jurisdiction of a Police station, who may have been charge-sheeted in any Police Station in the State, must find place in the Index to Convicts and Suspects Register. In future, these entries should be made as soon as a challan is put up in the case. Page number of Part III of the VCNB and the serial number of Part III at which this name figures shall be mentioned in the appropriate column of this Register. For example, if a name figures on Page 15 and at S.No. 89 of Part III of the VCNB the reference shall be given as 15/89. All entries relating to an accused person should be entered on the same page, one after another.

8. When a person, whose name figures in this register is convicted, then the entry regarding the case in which he has been convicted shall be under-lined in red ink. Before starting to make entries in the index to convicts and suspects Register, it should be ensured that the VCNB's are complete in all respects.

9. The Index to Convicts and Suspects Register is a very important reference register for opening new history sheets as well as for action u/s 110 Cr.P.C., Goonda Act, H.O. Act., N.S.A., etc. The Supdts. of Police should personally ensure that this Register is properly prepared.

10. These instructions come into force immediately. Supdts. of Police and C.Os. are requested to get entries of years starting from 1975 onwards completed by the end of August, 1988, positively and report compliance.

(Dr. G. P. PILANIA)
DIRECTOR GENERAL OF POLICE,
RAJASTHAN, JAIPUR.

To

1. All Dy.Is. Genl.of Police, Ranges Raj. including DIGP. (Railways), Jaipur.
2. All Supdts. of Police, Raj. Incl. G.R.P. Ajmer.
3. All ~~At~~ District Addl. Supdts. of Police, Raj.
4. All Circle Officers, Raj. inc. G.R.P.
5. All I/C. S.H.O., Rajasthan.

Government of Rajasthan
FOR ROUGH NOTE
Gen. 50.

कार्यालय पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:सीआईडी/सीबी/पीआरसी/32/88/3241-4040 दिनांक 28 जुलाई, 1988

स्थाई आदेश सं0 6/88

विषय :- मौजेवार ‡ग्रामवार अपराध पंजिका‡ तथा सजायाफ्तार एवं संदिग्ध अपराधियों की अनुक्रमणिका पंजिका ।

मौजेवार ‡ग्रामवार अपराध पंजिका‡ थानो पर तीन भागों में अंकित की जाती है :-

‡1‡ भाग-1 इस भाग में संबंधित गांव का इतिहास, जन संख्या एवं गांव से संबंधित अन्य सामान्य सूचनाऐं अंकित की जाती है।

‡11‡भाग-2 यह गांव की अपराध पंजिका है। अपराध के पंजीबद्ध होते ही इसका इन्द्राज मौजेवार‡ग्रामवार अपराध पंजिका‡ के इस भाग में अंकित किया जाता है। इसके साथ ही अपराध का इन्द्राज थाने में अपराध पंजिका ‡क्राईम रजिस्टर‡ में भी अंकित किया जाता है।

‡111‡भाग-3 यह गांव में निवास करने वाले, सजा पाये एवं संदिग्ध अपराधियों की अनुक्रमणिका है।

2. मौजेवार ‡ग्रामवार अपराध पंजिका‡ के भाग-3 में इन्द्राज लगातार क्रम सं0 से किये जाने चाहिये तथा प्रति वर्ष क्र0सं0 के नम्बर बदले नहीं जाने चाहिये। मौजेवार ‡ग्रामवार अपराध पंजिका‡ के प्रत्येक भाग के पृष्ठ संख्यानम्बर अलग अलग होने चाहिये। पूरे मौजेवार के लगातार पृष्ठ सं0 नम्बर नहीं होने चाहिये।

3. मौजेवार‡ग्रामवार अपराध पंजिका‡ के भाग-3 एवं सजायाब तथा संदिग्ध अपराधियों की अनुक्रमणिक पंजिका ‡इण्डेक्स रजिस्टर फार कन्वीक्टस एण्ड इस्पेक्टस‡ के इन्द्राज थानाधिकारी एवं हैड कोहरिर के स्तर पर अज्ञानता एवं निर्देशो को सही नहीं समझ पाने के कारण सही रुप से नहीं हो रहे है।जिसे अविलम्ब दुरस्त किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

4. ज्यो ही किसी अपराधी के विरुद्ध पुलिस दस्तन्दाजी योग्य अपराध में चालान प्रस्तुत किया जाता है, अपराधी का इन्द्राज, उस गांव जहां का वह निवासी है, मौजेवार‡ग्रामवार अपराध पंजिका‡ के भाग-3

---- 2 पर

तथा सजायाब एवं संदिग्ध अपराधियों की अनुक्रमणिका पंजिका में किया जाना चाहिये ।

उदाहरण के लिये यदि कोई अपराध थाना माणक चौक (जयपुर) के क्षेत्र में घटित होता है, तो प्रथम सूचना के इन्द्राज थाना माणकचौक के मौजेवार (ग्रामवार अपराध पंजिका) के भाग-2 में अंकित होगा । अब यदि अपराध में थाना नीम का थाना (सीकर) के क्षेत्र में रहने वाले अपराधी का चालान किया जाता है तो चालान प्रस्तुत करते समय थानाधिकारी माणकचौक (जहां अपराध पंजिबद्ध हुआ) सूचना कार्ड (इन्फोरमेशन रोल) अपराधी के निवास के थाने (नीम का थाना) के थानाधिकारी को भिजवायेगा। थानाधिकारी नीम का थाना इस सूचना पर संबंधित मौजेवार (ग्रामवार अपराध पंजिका) जहां अपराधी रहता है के भाग-3 एवं अपने थाने के सजायाब तथा संदिग्ध अपराधियों की अनुक्रमणिका पंजिका में इन्द्राज करेगा ।

5. चालान प्रस्तुत करने के साथ ही सूचना कार्ड (इन्फारमेशन रोल) अविलम्ब अपराधी के निवास के थाने के थानाधिकारी को भिजवा दिया जाना चाहिये। थानाधिकारी इस सूचना के प्राप्त होने पर 48 घंटो में (उसी जिले के शहर के थानो में) तथा 7 दिन में (अन्तर्जिलो के अपराधों में पुष्टि करेंगे कि मौजेवार (ग्रामवार अपराध पंजिका) के भाग-3 एवं सजायाब तथा संदिग्ध अपराधियों की अनुक्रमणिका पंजिका में इन्द्राज कर लिये गये है। यदि निर्धारित समय में इन्द्राज कर लिये जाने की सूचना पुन: प्राप्त नहीं होती है, तो यह थानाधिकारी जिसने चालान प्रस्तुत किया है, वृताधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट करेगा । पुलिस अधीक्षक एवं वृताधिकारी रिपोर्ट प्राप्त होने पर यह सुनिश्चित करेगें कि इन्द्राज हो गये है।

6. सजायाब एवं संदिग्ध अपराधियों की अनुक्रमणिक पंजिका वर्णानुकुल क्रम में संधारित की जानी चाहिये तथा एक पृष्ठ पर तीन से अधिक अपराधियों के नाम अंकित नहीं किये जाने चाहिये। यह पंजिका सभी थानो पर नये सिरे से बनाई जानी चाहिये, जिनमें दिनांक 1-1-1975 से अब तक के सम्पूर्ण इन्द्राज किये जाने चाहिये। यह कार्य समयबद्ध होना चाहिये तथा इसकी पालना रिपोर्ट दिनांक 31-8-1988 तक सभी थाना-अधिकारियों को अपने जिला पुलिस अधीक्षक को भिजवा दी जानी चाहिये।

--- 3 पर

7. उन सभी अपराधियों के नाम जो थाने के क्षेत्र में रहते है थाने के सजायाब एवं संदिग्ध अपराधियों के अनुक्रमणिक पंजिका में अंकित होने चाहिये । चाहे इनके विरुद्ध चालान राज्य के किसी भी थाने से क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया हो। भविष्य में ये इन्द्राज, अपराध प्रकरण का चालान प्रस्तुत होते ही अविलम्ब हो जाने चाहिये। संबंधित मौजेवार (ग्रामवार अपराध पंजिका) के भाग-3 की पृष्ठ सं0 एवं क्रम सं0 जहाँ अमुक अपराधी का नाम अंकित किया गया है, इस पंजिका (रजिस्टर) के संबंधित कालम में अंकित किया जाना चाहिये। उदाहरण के लिये यदि किसी अपराधी का नाम मौजेवार (ग्रामवार अपराध पंजिका) के भाग-3 के पृष्ठ संख्या 15 एवं क्रम संख्या 89 पर अंकित है तो इसका उद्धरण 15/89 के रूप में अंकित किया जायेगा। एक अपराधी से संबंधित सभी इन्द्राज, एक के बाद एक इसी पृष्ठ पर अंकित की जानी चाहिये।

8. जब कोई अपराधी, जिसका नाम इस पंजिका में अंकित है, किसी अपराध प्रकरण में सजायाब होता है तो पंजिका (रजिस्टर) में इस अपराध प्रकरण से संबंधित इन्द्राज के नीचे लाल स्याही से अन्डर लाईन कर दिया जावेगा ।

सजायाब एवं संदिग्ध अपराधियों की अनुक्रमणिका पंजिका में इन्द्राज करने प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि मौजेवार (ग्रामवार अपराध पंजिका) पूर्ण रूप से पूरी कर ली गई है।

9. सजायाब एवं संदिग्ध अपराधियों की अनुक्रमणिका पंजिका नये हिस्ट्री शीटस प्रारम्भ करने तथा धारा 110 दण्ड प्रक्रिया संहिता, गुण्डा अधिनियम, अभ्यस्त अपराधी अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम आदि में कार्यवाही करने के संबंध में महत्वपूर्ण पंजिका (रजिस्टर) है। जिला पुलिस अधीक्षकों को स्वयं निजी तौर पर पुष्टि करनी चाहिये कि ये रजिस्टर (पंजिका) सही ढंग से तैयार की जा रही है।

10. यह निर्देश तुरन्त प्रभावशील होंगे। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों एवं वृत्ताधिकारियों से आग्रह है कि वह हर सूरत में अगस्त 1988 के अन्त तक वर्ष 1975 से अब तक के सभी इन्द्राज पूर्ण करा कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करावे ।

ह0

पुलिस महानिदेशक,

राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।

2. समस्त रेंज उप महानिरीक्षक पुलिस,राजस्थान, जयपुर

3. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान ।
4. समस्त जिला अजमेर पुलिस अधीक्षक, राज० ।
5. समस्त जिला वृत्ताधिकारी/उप अधीक्षक पुलिस,राज० ।
6. समस्त पुलिस थाना प्रभारी अधिकारी, राज० ।

ह0

पुलिस महानिदेशक,
राजस्थान, जयपुर।